<u>न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या–01, शाहपुरा, जयपुर जिला,</u>

पीठासीन न्यायाधीश : ललिता शर्मा (न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र /एनसीवी नम्बर : 333/2025

01. अजय कुमार मीणा पुत्र दीपक मीणा, उम्र 25 वर्ष, निवासी मीणो का मौहल्ला नारहेडा, हनुमानजी मंदिर, जिला कोटपूतली–बहरोड। ––**प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, शाहपुरा, जिला–जयपुर, राजस्थान,

...अप्रार्थी

<u>जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.</u>

उपस्थितः–

1– श्री रामकिशोर यादव, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– श्री श्रीराम शर्मा, अधिवक्ता, परिवादीया की ओर से।
3– अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

:: <u>आदेश</u> :: **<u>दिनांक 24.11.2025</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **288/2025**, पुलिस थाना–**शाहपुरा**, जिला जयपुर, अन्तर्गत धारा **64(1), 78(2), 308(2), 308(5)** भारतीय न्याय संहिता व धारा **66E** सूचना प्रोद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई और पत्रावली तलब की गयी।

संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.09.2025 को परिवादीया ने पुलिस थाना शाहपुरा में एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसका भानजा अजय ने उसे नींद की गोली दे दी, उसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उसकी वीडियो बनाकर, वीडियो की धमकी देकर उसके साथ गलत संबंध बनाता रहा। परिवादीया को जान से मारने की धमकी देकर पचास हजार रूपए ले लिए, फिर उसने बाइक से घर आकर उसको मारने व 5 लाख रूपए लेने की धमकी दी, जिस पर परिवादीया ने मना कर दिया तो अजय ने उसकी फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो अपलोड कर दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पुलिस थाना शाहपुरा पर मु.नं. 288/2025, अंतर्गत धारा 64(1), 78(2),

308(2), 308(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66E सूचना प्रोद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 में पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 16.09.2025 को गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में निर्दोष है व प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा संलिप्त किया गया है। प्रकरण में पीडिता द्वारा आधारहीन तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध यह झूंठा मुकदमा पंजीबद्ध करवाया गया है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से पेश की गयी है। परिवादीया ने आपसी रिश्तेदारी के कारण, प्लॉट के विवाद को लेकर झूंठा मकदमा दर्ज करवाया है। प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 16.09.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता परिवादीया ने हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। ध्यानपूर्वक पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में पुलिस द्वारा अभियुक्त अजय के विरूद्ध पीडिता को नींद की गोली देकर, उसके साथ दुष्कर्म करने का वीडियो बनाकर, बार–बार गलत संबंध बनाना एवं पीडिता को जान से मारने की धमकी देकर उससे पचास हजार रूपए की राशि लेना तथा पीडिता का अश्लील वीडियो वायरल करना प्रथमदृष्टया पाया है। इस संबंध में मुकामी पुलिस थाना शाहपुरा द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 64(1), 78(2), 308(2), 308(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66E सूचना प्रोद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 का अपराध प्रमाणित पाकर, आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में पीडिता ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की ताईद अपने पुलिस बयान के साथ साथ, अंतर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस में लेखबद्ध करवाए गए कथनों में भी की है। अतः प्रकरण के तथ्यों

एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टीगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::– <u>आदेश</u> –::

प्रार्थी/अभियुक्त **अजय कुमार मीणा पुत्र दीपक मीणा, उम्र 25 वर्ष, निवासी मीणो का मौहल्ला नारहेडा, हनुमानजी मंदिर, जिला कोटपूतली–बहरोड** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(ललिता शर्मा)
अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या–01
शाहपुरा, जयपुर जिला

आदेश आज दिनांक **24.11.2025** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

(ललिता शर्मा)
अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या–01
शाहपुरा, जयपुर जिला